

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला – बीजापुर (छ.ग.)

—:: विज्ञापन ::—

क्रमांक/597/जि.नि.अ./स्था./वि.स.चु./2018

बीजापुर, दिनांक 18/9/2018

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 241/स्था./वि.स.चु./2018/2390 दिनांक 24.07.2018 के द्वारा दिये निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव, 2018 के अतिरिक्त कार्य को सम्पन्न कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-बीजापुर (छ.ग.) एवं रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय के लिए निम्नानुसार अस्थायी/कलेक्टर दर के पदों को दिनांक **01-08-2018** से **31-01-2019** तक की अवधि के लिये भर्ती हेतु आवेदन पत्र मात्र बीजापुर जिले के स्थानीय निवासियों से दिनांक 27.09.2018 तक आमंत्रित किया जाता है ।

क्र.	पदनाम	कुल पद	अनुसूचित जाति		अनु.जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	सहायक ग्रेड-03	05	—	—	03	—	—	—	02	—
2	भृत्य	03	—	—	02	—	—	—	01	—

नियुक्ति प्राधिकारी :-

नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बीजापुर द्वारा की जावेगी ।

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं/निवासी (सहायक ग्रेड -03 - 05 पद)

- (I) सेवा श्रेणी – तृतीय श्रेणी
- (II) वेतनमान रूपये – सातवें वेतनमान के मान से मैट्रिक लेबल – 04
- (III) शैक्षणिक योग्यता – (1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
(2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा,
(3) कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।
- (IV) निवासी – बीजापुर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है ।

भृत्य पद हेतु योग्यता :- कलेक्टर दर पर


- (I) मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से कक्षा-आठवी उत्तीर्ण होना चाहिए।

नियम एवं शर्तें:-

1. आयु सीमा :-

- (क) आयु दिनांक 1-1-2018 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन द्वारा समय-समय में जारी आयुसीमा में छूट का प्रावधान रहेगा।
 - (ख) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु (छ.ग. के निवासी हेतु) दिनांक 1-1-2018 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग आदि के लिए अधिकतम आयुसीमा में जो छूट है वह लागू रहेगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 - (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयुसीमा तक रहेगी।
2. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
 3. छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1-3/2012/1-3 नया रायपुर, दिनांक 03.04.2017 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार बीजापुर जिले के स्थानीय निवासी ही भर्ती के लिए पात्र होंगे।
 4. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
 5. वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 27.09.2018 को शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बीजापुर (छ.ग.) पिन 494444 के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन के ऊपर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 6. उम्मीदवार को अपनी आयु समर्थन में हाईस्कूल/आठवी की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 7. अन्य शासकीय/ अर्द्ध शासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
 8. इस विज्ञापन जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किए जावेंगे।
 9. किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
 10. शासन द्वारा भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो इस विज्ञापित में लागू होगा।
 11. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर, बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 12. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जावेंगे।
 13. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। जिसे बढ़ाया/अथवा कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है।
 14. विकलांग उम्मीदवार को विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 15. प्रमाण पत्रों के परीक्षण के समय आवेदक को अपना शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
 16. सहायक वर्ग-3 के पद हेतु चयन प्रक्रिया :- शैक्षणिक योग्यता के मेरिट एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा। किन्तु कौशल परीक्षा में न्यूनतम अंक 40 प्राप्त करना अनिवार्य होगा तभी मेरिट सूची में शामिल किया जावेगा। अनुभव का कोई अंक देय नहीं होगा।

17. शैक्षणिक योग्यता का 60 % एवं कौशल परीक्षा का 40 % के मान से चयन किया जावेगा ।
18. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो, की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
19. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं भेजने वाले का पूरा नाम व पता लिखा हुआ होना चाहिए ।
20. आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा।
21. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी ।
22. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके ।
23. विज्ञापन/आवेदन प्रारूप जिले के वेबसाईट bijapur.gov.in पर उपलब्ध है ।


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(५) जिला- बीजापुर (छ.ग.)

7. अन्य अनुभव :-

क्रं.	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

9. क्या उम्मीदवार विवाहित है। हॉ/ नहीं :

10. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :

21. जीवित बच्चों की संख्या :

क्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि

1. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची :-

1.2:

34:

56.

7.8.

9:10

घोषणा – पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी। जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पता